



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 383) पटना, मंगलवार, 9 मई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 मई 2023

अधिसूचना संख्या 05/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 127 दिनांक 9 मई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, मद (iii), उप मद (ख) में, कॉलम (5) की प्रविष्टि के अंतर्गत, शर्त (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“बशर्ते और भी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह विकल्प 31 मई, 2023 को या उसके पहले तक अपनाया जा सकेगा:

बशर्ते और भी कि यदि कोई जीटीए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या उस वर्ष में निर्धारित पंजीकरण की थ्रेशोल्ड सीमा को पार करता है तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जीएसटी पंजीकरण के आवेदन किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन पूरे हो जाने के पहले या ऐसे पंजीकरण के हो जाने की तारीख से एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने के पहले, दोनों में जो भी बाद में हो, अनुबंध V में इस प्रकार की घोषणा करके कर सकता है।”।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)05)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 मई 2023

एस० ओ० 127, दिनांक 9 मई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 05)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

Commercial Taxes Department

Notification

The 9th May 2023

Notification No. - 05/2023- State Tax (Rate)

S.O. 127, dated The 9th May 2023—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, Published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entries under column (5), in condition (2), after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that GTA who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty-five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 05)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 383-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>